न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 127/2012/223 आरटीए

फतेहसिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति जोगी निवासी गंगासिंह पुरा तहसील भादरा।

––अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

––रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 16.03.09 व डिक्री दिनांक 24.06.09 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा प्रकरण सं. 678/2002 अनवानी फतेहसिंह बनाम स्टेट

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–09.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद इस्तकरार हक एवं दुरूस्ती रिकार्ड पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री गैरकानूनी एवं दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का परिशिलन किये बिना ही विधि की अवहेलना मे पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय वाद मे प्रदर्शित दस्तावेज ईएक्सपी–1 खतौनी सम्वत 2006 रोही मौजा गंगासिंहपुरा प्रस्तुत की थी जिसमे कुरडाराम वल्द भगवान नाथ जोगी खसरा नं. 51 की 10.05 बीघा व खसरा नं. 72 की 15.07 बीघा कुल 25.12 बीघा उनके नाम से गैरखातेदारी दर्ज थी तथा कुरड़ाराम अपीलांट के पिता थे तथा ईएक्सपी–2 पास बुक जो चकबन्दी विभाग राजस्व द्वारा जारी की गई उसमे लगान अदा करना व कब्जा

काश्त दर्शाई गई है। 19.05 बीघा कुरड़ाराम के नाम से थी व प्रदर्श 5 खतौनी जमाबंदी सम्वत 2022 व ईएक्सपी–5 खतौनी जमाबंदी व लगान की रसीदे तथा भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा जारी खतौनी देने के नोटिस आदि व चालू जमाबंदी व मौखिक साक्ष्य मे पीडब्ल्यू–1 फतेहसिंह जिनसे वाद की समस्त तथ्यो की पुष्टि होती है तथा वादी अपीलांट कानूनन वाद भूमि का खातेदारी प्राप्त करने का मुश्तरका था परन्तु विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य विधि के सुस्थापित सिद्धांतो को नजरअंदाज कर बिना किसी आधार के वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह विवेचन दिया है कि आवंटित भूमि को प्रचलित विधि के तहत गैरखातेदार से खातेदारी सनद जारी की जावेगी। परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण आवंटन का ना होकर सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त एवं गैरखातेदारी भूमि की खातेदारी अधिकारो की घोषणा करना था। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का वादी को पूर्व मे ज्ञान नही था तथा वादी के वकील द्वारा कहा गया था कि डिक्री नही बनी है इसके बाद वादी के वकील द्वारा वादी को कोई सूचना नही दी गई। दिनांक 23.12.11 को पता किया तब अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सूचना मिली जिस पर उसी दिन नकल आदि प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की है। इसलिए अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि ''राजस्व एवं उपनिवेशन विधि के तहत किन्ही शरायत के

अधीन काश्त के लिए आवंटित भूमि के आवंटित को प्रचलित विधि तथा तत्धीन बने नियमों के तहत गैरखातेदार दर्ज किया जाता है तथा नियमों व शर्तो की पालना के उपरांत निश्चित अवधि के पश्चात सक्षम अधिकारी के स्तर से खातेदारी सनद जारी की जाती है। लिहाजा प्रकरण उद्घोषणा की श्रेणी मे नही आने से काबिल खारिज है।''चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता कुरड़ाराम के नाम बतौर गैरखातेदारी दर्ज है तथा प्रस्तुत गिरदावरी से साबित है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांट का है। गैरखातेदारी दर्ज भूमि की खातेदारी आवंटन नियमो व शर्तो के तहत नियमानुसार सक्षम अधिकारी के स्तर पर दी आपेक्षित है। जबकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत इस्तकरार हक एवं दुरूस्ती रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे आवंटित वादग्रस्त भूमि के संबंध मे विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.09 व डिक्री दिनांक 24.06.09 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ